रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 17 मई, 2005/27 वैशाख, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 002, 17 मई, 2005

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–15/2005–लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13–5–2005 को

640–राजपत्र/2005–17–5–2005–1500. (757) मूल्य : 1 रुपया।

अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक 14) को वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक 18 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

2005 का अधिनियम संख्यांक 18

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन अधिनियम, 2005

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 13 मई, 2005 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम ।**

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन अधिनियम, 2005 है ।

धारा 4–ङ का प्रतिस्थापन।

1971 का 8

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 4–ङ के स्थान पर निम्नलिखित नई धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :–

" 4–ङ.–भूतपूर्व सदस्यों को गृह निर्माण अग्रिम.—ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को, जिन्होंने सदस्य के रूप में गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा प्राप्त नहीं की है, गृह निर्माण के लिए या बने बनाए गृह का क्रय करने के लिए, प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में ऐसी धनराशि, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी ।

4–च.–मोटर कार के क्रय के लिए अग्रिम उधार.– ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को, जिन्होंने सदस्य के रूप में मोटर कार अग्रिम की सुविधा प्राप्त नहीं की है, मोटर कार का क्रय करने के लिए, प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में ऐसी धनराशि, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी । " ।

धारा 6–ख का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6–ख में,–

(क) उप–धारा (1) में ,—

(i) " एक हजार पांच सौ " शब्दों के स्थान पर " पांच हजार' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) प्रथम परन्तुक में "एक सौ पचास" शब्दों के स्थान पर " दो सौ" शब्द रखे जाएंगे ; और

(iii) द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा ; और

(ख) उप–धारा (5) में "न्यूनतम 1500/– रुपये प्रतिमास (1–1–1996 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1510 तक महंगाई राहत सहित) के अध्यधीन " शब्दों, चिन्हों, अंकों तथा कोष्ठक का लोप किया जाएगा ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 18 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT ACT, 2005

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 13TH MAY, 2005)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2005. Short title.

2. For section 4-E of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), the following new sections shall be substituted, namely:— Substitution of section 4-E.

8 of 1971

"4-E. House building advance to ex-members.—There may be paid to such ex-members, who have not availed the facility of house building advance as a member, by way of repayable advance, such sum of money, subject to such conditions, as may be determined by rules made in this behalf, for the construction of a house or for the purchase of a built up house.

4-F. Advance of loan for purchase of motor car.—There may be paid to such ex-members, who have not availed the facility of motor car advance as a member, by way of repayable advance, such sum of money, subject to such conditions, as may be determined by rules made in this behalf, for the purchase of motor car .".

Amendment of section 6-B.

3. In section 6-B of the principal Act,—

(a) in sub-section (1) ,—

(i) for the figures " 1500," the figures "5000" shall be substituted;

(ii) in the first proviso, for the figures "150", the figures "200" shall be substituted ; and

(iii) second proviso shall be deleted ; and

(b) in sub-section (5), the words, signs, figures and bracket "subject to a minimum of Rs. 1500/- per month (including Dearness Relief upto 1510 Consumer Price Index as on 1-1-1996)" shall be deleted.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।